



नवीन मान्यता प्रपत्र

2021-2022 हेतु

कार्यालय

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला रायपुर छ.ग.

शिक्षा परिसर, पेंशन बाड़ा, जिला -रायपुर, छ.ग.

Phone No. 0771-4002690-97

E-mail- deoraipurict@gmail.com

स्कूल का नाम एवं पता (मोबाईल नम्बर सहित) :

सत्र 2021-22
आवेदन प्राप्त की तिथि 05.01.2021 से 31.01.2021
आवेदन जमा की अंतिम तिथि 05.02.2021
विभागीय मान्यता हेतु आवेदन पत्र का नमूना
(कक्षा नर्सरी एवं पहली से बारहवीं तक)

प्रति ,

जिला शिक्षा अधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कक्षा नर्सरी एवं पहली से कक्षा तक माध्यम (अंग्रेजी/हिन्दी)
विभागीय मान्यता हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने बाबत ।

—0—

निवेदन है कि (समिति) द्वारा
संचालित शाला में सत्र से
कक्षा नर्सरी एवं पहली से तक कक्षा संचालन हेतु विभागीय अनुमति प्रदान
करने की कृपा करें।

शपथकर्ता उक्त समिति में
अध्यक्ष/सचिव के पद पर वर्तमान में पदस्थ है एवं समिति इन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु
अधिकृत किया गया है।

शपथ पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी (.....) से सत्यापन उपरांत दो
प्रतियों में एवं विभागीय मान्यता हेतु चाही गई जानकारी एवं अभिलेख दो प्रतियों में
पृथक-पृथक फोल्डर में आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार संलग्न प्रपत्रों की सूची,
एवं फाईल एक प्रति में।

दिनांक :

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव

नाम

मोबाईल नंबर

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा
शाला खोलने की अनुमति के विभागीय मान्यता हेतु
संलग्न प्रपत्रों/अभिलेख की सूची

स.क्र.	प्रपत्र/अभिलेख	परिशिष्ट क्रमांक
1	समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
2	समिति का विधान रजिस्ट्रार से प्रमाणित	
3	शाला का विधान अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रमाणित	
4	समिति के पदाधिकारियों की रजिस्ट्रार से प्रमाणित सूची	
5	शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु समिति के प्रस्ताव की प्रति	
6	प्रारूप (क) में शपथ पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्रमाणित	
7	प्रारूप (ख) में निर्धारित घोषणा पत्र	
8	प्रारूप (ग) में निर्धारित प्रतिभूति पत्र	
9	परिशिष्ट (अ) की जानकारी	
10	शाला में लिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का विवरण	
11	जमा की गई अमानत (अक्षय निधि) राशि का विवरण एवं फोटोकापी	
12	कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों का पूर्ण विवरण	
13	शाला में अध्ययनरत/अध्ययन हेतु अनुमानित छात्र/छात्राओं का विवरण	
14	शाला भवन में कक्षों (कमरों) का वर्गफुटवार विवरण	
15	शाला भवन का बी-1, पी.-2, नक्शा, खसरा की जानकारी	
16	शाला भवन नक्शा/किरायानामा स्टाम्प पेपर पर	
17	समिति की गत 03 वर्षों का आडिट रिपोर्ट/आय-व्यय विवरण	
18	शाला में उपलब्ध शैक्षणिक उपकरण, संसाधन, पुस्तक, फर्नीचर, कम्प्यूटर	
19	अग्निशमन (रशीद/फोटो), टायलेट, पानी एवं खेलकूद व्यवस्था विवरण, सहमति पत्र	
20	कक्षावार समय विभाग चक्र	
21	स्कूल बस/वेन की व्यवस्था हो तो पंजीयन नम्बर सहित पूर्ण विवरण	
22	छात्रावास की व्यवस्था हो तो पूर्ण विवरण	
23	शाला प्रारंभ वर्ष	
24	शाला का दूरभाष क्रमांक	
25	विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टि से सी.सी.टी. कैमरा लगाना अनिवार्य है।	

दिनांक :----- डाईस कोड :

अध्यक्ष/सचिव
समिति का नाम
आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम
(एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर व मुहर)

प्रारूप—एक

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्व घोषणा सह आवेदन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 15—के उप—नियम

सेवा में ,

जिला शिक्षा अधिकारी,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में स्वःघोषणा और
..... (विद्यालय का नाम) को वर्ष 20.....
विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रारूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नक :-

स्थान :-

तारीख :-

भवदीय

प्रबंध समिति का अध्यक्ष / प्रबंधक
मोबाईल नंबर

A		शाला का विवरण
1	शाला का नाम	
2	शैक्षणिक सत्र	
3	जिला	
4	डाक का पता	
5	ग्राम/शहर	
6	तहसील	
7	पिन कोड	
8	फोन नं. एस.टी.डी. कोड सहित	
9	मोबाईल नम्बर/फोन नम्बर	
10	ई-मेल पता यदि हो तो	
11	निकटतम पुलिस थाना का नाम एवं मोबाईल नम्बर/फोन नम्बर	

B		सामान्य जानकारी
1	स्थापना वर्ष	
2	शाला प्रारंभ होने की तिथि	
3	ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति का नाम	
4	क्या ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति प्रजीकृत है ?	
5	ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति की वैद्यता अवधि	
6	यदि ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंध समिति के स्वामित्व हीनता की प्रकृति का प्रमाण हो तो शपथ-पत्र में सदस्यों की सूची उनके पतों सहित संलग्न हो।	
7	शाला के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष का नाम तथा कार्यालयीन पता - नाम - पद - पता - फोन नं. -	
8	विगत तीन वर्ष के दौरान कुल आय तथा व्यय, बचत/घाटा	
	वर्ष	आय
		व्यय
		बचत / घाटा

C		विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्र
1	शिक्षण का माध्यम	
2	शाला का प्रकार (शुरुआत और अंतिम कक्षा दर्शाये)	
3	यदि अनुदान प्राप्त हो तो, एजेंसी/समिति का नाम और अनुदान का प्रतिशत ।	
4	क्या शाला मान्यता प्राप्त है ?	
5	यदि हाँ तो किस प्राधिकारी से मान्यता/ कमांक	
6	क्या शाला के पास स्वयं का भवन है या किराये के भवन में संचालित है ।	
7	क्या शाला भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात के दौरान व्यावसायिक या आवासीय (शाला के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्य का छोड़कर) या राजनैतिक या अशैक्षणिक गतिविधियों या किसी अन्य प्रकार से उपयोग हो रहा है :-	
8	शाला का कुल क्षेत्रफल	
9	शाला में निर्माण का क्षेत्रफल	

D		नामांकन स्थिति			
	कक्षा	वर्ग संख्या	छात्र संख्या (जातिवार एवं वर्गवार)		
			APL	BPL	TOTAL
1	पूर्व प्राथमिक				
2	01 लीं से 05 वीं				
3	06 वीं से 08 वीं				
4	09 वीं से 10 वीं				
5	11 वीं से 12 वीं				

E		अधोसंरचना विवरण और स्वच्छता स्थिति	
	कमरा	संख्या	औसत आकार
1	अध्यापन कक्ष		
2	कार्यालय सह भण्डार सह प्रधान पाठक कक्ष		
3	किचन सह भण्डार		

F		अन्य सुविधाएँ
1	क्या सभी सुविधाओं में बाधा रहित पहुँच है-	
2	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	क्रीड़ा एवं खेल उपकरण (सूची संलग्न करें)	

4	पुस्तकालय में पुस्तक सुविधा <ul style="list-style-type: none"> • पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) • पत्रिकाएँ/समाचार पत्र 							
5	पेयजल सुविधा का प्रकार एवं संख्या							
6	स्वच्छता स्थिति :- <ul style="list-style-type: none"> • शौचालय और मूत्रालय का प्रकार • बालकों के लिए पृथक मूत्रालय /शौचालय की संख्या • बलिकाओं के लिए पृथक मूत्रालय /शौचालय की संख्या 							
7	रैम्प की सुविधा							
8	अग्नि समन (कक्षावार/बरामदा)							
9	स्कूल भवन/स्थल का पंजीयन रजिस्ट्री का विवरण (i) पंजीकृत संस्था का नाम (ii) व्यक्ति का नाम जिसके नाम से जमीन है। (iii) B-1, B-2 संलग्न							
10	विद्युत बिल	(i) व्यवसायिक/घरेलू (ii) विद्युत धारक का नाम						
वाहन सुविधाएँ								
1	क्या आपके विद्यालय में बच्चों के लिए वाहन सुविधा है-							
2	यदि हाँ तो कितने बस/मिनीबस/आटोरिक्षा/अन्य							
3	प्रत्येक वाहन की जानकारी (सूची संलग्न करें)							
	क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन मालिक का नाम	वाहन चालक का नाम	वाहन क्रमांक	फिटनेश की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	वाहन चालक का मोबाईल नम्बर
4	वाहन में सुविधाएँ	कन्डेक्टर	सीटों की संख्या	अग्नि शमक यंत्र	अन्य सुविधाएं			
5	बच्चों से वाहन हेतु लिये जाने वाला शुल्क (प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी)							

G

अध्यापन कर्मचारीवृन्द (टीचींग स्टॉफ) की

1. केवल पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक में पढ़ाने वाले (प्रत्येक शिक्षक का पृथक विवरण)

शिक्षक का नाम	पिता/पितृ का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	मानदेय / वेतनमान	CPF कटौती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. केवल उच्च प्राथमिक में पढ़ाने वाले (प्रत्येक शिक्षक का विवरण)

शिक्षक का नाम	पिता/पितृ का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	मानदेय / वेतनमान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. केवल माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाने वाले (प्रत्येक शिक्षक का विवरण)

शिक्षक का नाम	पिता/पितृ का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	मानदेय / वेतनमान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. प्रधान पाठक/प्राचार्य

शिक्षक का नाम	पिता/पितृ का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	मानदेय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. विद्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की जानकारी

शिक्षक का नाम	पिता/पितृ का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता	अध्यापन अनुभव	निर्दिष्ट कक्षा	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	मानदेय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

H - 1		पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम
1	प्रत्येक कक्षा (08 वीं तक) में पाठ्यक्रम का विवरण	
2	छात्र मूल्यांकन की पद्धति	
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	

H-2 अन्य जानकारी विवरण

(I) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैप्चर फॉर्मेट में भी सूचना (जानकारी) प्रस्तुत की है।

(J) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु शाला खुला है।

(K) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबद्ध करता है कि ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ (जानकारी) प्रस्तुत करेगा जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

(L) प्रमाणित किया जाता है कि अधिनियम के क्रियान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख ? किसी भी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनाएँ (जानकारी) प्रस्तुत करेगा जो केन्द्र और/या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/राज्य विधानसभा/पंचायत/नगरपालिक निगम के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

अन्य जानकारी विवरण

1. वाहन सुविधा / जानकारी

क्र.	स्कूल में संचालित वाहन का नाम/प्रकार (बस/आटो/अन्य)	संख्या			वाहन चालक नाम/मोबाईल नं.	वाहन क्रमांक	फिटनेश प्रमाण पत्र (संलग्न)	परमिट की अंतिम तिथि	सीट संख्या
		बस	आटो	अन्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वाहन में C.C. T.V.	स्पीट कन्डेक्टर	प्रथम उपचार की सामग्री	परिचालक /आया का विवरण	वाहन पंजीयन की तिथि	अन्य विवरण			
	11	12	13	14	15	16			

2. समिति की निर्वाचन की तिथि/कार्यरत/फर्म सोसायटी से वर्षवार नवीनीकरण की जानकारी
3. स्कूल के नाम संचालित भूमि का राजस्व विभाग से स्कूल नाम से आंबटित/डायवर्टेड(परिवर्तित भूमि) भूमि का विवरण नगरीय हो तो नगर निगम से स्कूल के नाम से परिवर्तित भूमि।
4. कार्यरत कर्मचारी का वेतन भूगतान का विवरण (यथा बैंक/चेक/RTGS/)
5. C A आडिट रिपोर्ट का वर्षवार लेखा जोखा (आडिट रिपोर्ट को छोड़कर)
6. RTE के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों का कक्षावार विवरण तथा RTE के प्रवेशित छात्रों के लिए संयुक्त बैंक खाता विवरण
7. RTE विवरण पोर्टल में बैंक पास बुक के उपरी अभिलेख (जिसमें खातेदार का नाम/IFSC कोड आदि विवरण अभिलिखित हो।

स्थान :-

हस्ताक्षरित

अध्यक्ष/सचिव

प्रबन्ध समिति

..... विद्यालय

परिशिष्ट – (अ)

समिति का नाम एवं पूर्ण पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	अधिनियम जिसके अंतर्गत पंजीकृत है	शाला का नाम एवं पता	शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पूर्ण पता	कक्षाएँ जो पूर्व से संचालित है	कक्षा जिन्हे प्रारंभ करने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है	अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्थान	शपथपत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि	शाला प्रारंभ वर्ष	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव
समिति का पद मुद्रा

नाम
मोबाईल नंबर

फार्म क्रमांक -1
शालाओं की मान्यता के लिये आवेदन पत्र

प्रति ,
जिला शिक्षा अधिकारी,
रायपुर छ.ग.

महोदय / महोदया,

निवेदन है कि इस शाला को मान्यता प्रदान करने की कृपा करें, आवश्यक ब्यौरे नीचे दिये हुए हैं :-

1. शाला का नाम
2. शाला प्रारंभ होने की तारीख
3. कहाँ तक शिक्षा के लिये मान्यता माँगी गई है
4. विषय जिसमें मान्यता मांगी गई है
5. शाला के प्रबंध का विधान :-
(अ) संस्था के पंजीयन प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा दिनांक ।
(ब) प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची, प्रत्येक सदस्य के पते तथा हस्ताक्षर सहित ।
6. शाला के परिसरों का विवरण :-
(क) भवन तथा खेल के मैदान का मानचित्र (प्रति संलग्न की जाय),
(ख) खेल के मैदान तथा कमरों का आकार प्रकार ,
(ग) भवन प्रयोगशाला सहित तथा खेल के मैदान की स्थिति तथा स्वामित्व ।
7. पुस्तकालय तथा साज-सामान (प्रत्येक की विस्तृत सूची संलग्न की जाय।)
8. कर्मचारी वर्ग :-
(क) नाम तथा अर्हता सहित सूची - नाम, जन्म तारीख, नियुक्ति की तारीख, धारित पद, अर्हताएँ, वेतनमान, वर्तमान वेतन, भविष्य निधि कटौती की जानकारी, कक्षाएँ तथा पढ़ाया जाने वाला विषय, मोबाईल नम्बर, पता।
(ख) सेवा निवृत्ति के लाभों सहित सेवा शर्तें ।
9. आय की अनुसूची :-
(क) सभी स्तरों के विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क ।
(ख) धर्मार्थ प्राप्त रकमें ।
(ग) विद्यार्थियों, माता, पिता, तथा कर्मचारियों से अभिदान, दान तथा अंशदान ।
10. प्रत्येक कक्षा, वर्ग की संख्या तथा उपस्थिति ।
11. छात्रावास :-
(क) क्या छात्रावास सुविधा है ।
(ख) यदि छात्रावास सुविधा उपलब्ध हो तो भवन, उसके स्वामित्व तथा स्थिति तथा स्वच्छता संबंधी विवरण ।
(ग) अन्तर्वासियों की संख्या, भोजन तथा चिकित्सा परिचर्या के लिये व्यवस्था ।
12. शाला की वित्तीय स्थिति :-
(क) आरक्षित निधि रूपये

(ख) कुल वार्षिक आये रूपये

(ग) कुल वार्षिक व्यय रूपये

शाला विधान की एक प्रति साथ में संलग्न की जाती है ।

13. शाला प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम ।

14. शाला संचालन एवं मान्यता प्राप्त हेतु शाला प्रबंध समिति का प्रस्ताव ।

15. शाला अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में क्या शाला प्रबंध समिति, शाला संचालन करती रहेगी यदि हाँ तो कब तक ?

यदि नहीं, तो शाला प्रारंभ करने का क्या कारण है ?.....

16. (1) क्या प्रबंध समिति के सदस्यों ने विभागीय मान्यता संबंधी नियम एवं/या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित नियमों का अध्ययन किया है ?

(2) क्या इन नियमों के अंतर्गत शाला मान्यता देने योग्य है ?

(3) यदि, नहीं तो क्या-क्या कमियाँ हैं जिनके बावजूद भी आप मान्यता चाहते हैं एवं क्यों ?

.....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

(एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर व मुहर)

दिनांक :-

मध्यप्रदेश शासन/छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 73-27/97/20-5/ भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1997 के अनुसार अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा शालाएँ खोलने की अनुमति के म.प्र./छ.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय-3 की कंडिका 33 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

1. अशासकीय शिक्षण संस्था प्रारंभ करने के लिये संचालन समिति का म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 , लोक न्यास अधिनियम अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत तथा समिति के विधान में शिक्षा का प्रसाद करने का उद्देश्य होना आवश्यक होगा ।
2. पद एक में उल्लेखित समिति अपनी बैठक में कक्षा/शाला प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु सचिव या अध्यक्ष को अधिकृत करेंगे ।
3. विधिवत रूप से अधिकृत पदाधिकारी संलग्न प्रारूप (क) अनुसार दण्डाधिकारी से सत्यापित शपथपत्र जिले के उप संचालक (जिला शिक्षा अधिकारी) को दो प्रारूप में प्रस्तुत कर एक प्रति पर पावती प्राप्त करेगा । इस शपथपत्र के साथ उसे समिति के द्वारा प्राधिकृत करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त वह प्रारूप (ख) में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रारूप (ग) में उप संचालक (जिला शिक्षा अधिकारी) के समक्ष बाण्ड निष्पादित करेगा । इस शपथपत्र के साथ उसे संस्था के विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संस्था के पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करनी होगी साथ ही संस्था की विगत वर्ष की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति को प्रस्तुत करना होगा । पावती अंकित शपथपत्र की प्रति ही विद्यालय संचालन हेतु अनुमति मान्य की जावेगी । इसके अतिरिक्त शाला प्रारंभ करने की पृथक से अनुमति जारी नहीं की जावेगी, आवश्यकता या निरीक्षण के समय पावती अंकित शपथपत्र की प्रति दिखाने के लिये संस्था बाध्य होगी ।
4. विद्यालय संचालन हेतु समिति को जिला शिक्षा अधिकारी के नामित प्राथमिक विद्यालय हेतु 10,000/- माध्यमिक विद्यालय हेतु रू. 15,000/- हाईस्कूल हेतु रू. 20,000/- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु रू. 25,000/- की राशि का बाण्ड/बचतपत्र/सावधी जमा के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।
5. विद्यालय में विभिन्न प्रकार के शुल्क, दान एवं अन्य प्राप्तियाँ तथा व्यय का विवरण शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश करने पर विभाग के हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त संस्था को प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराके प्रतिवेदन की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करानी होगी ।
6. समिति के आय स्रोत की जानकारी तथा आवेदन की तिथि पर जमा राशि की जानकारी। आय की अनुसूची :-
 (क) सभी स्तरों के विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क
 (ख) धर्मार्थ प्राप्त रकमें ।
 (ग) विद्यार्थियों, माता, पिता, तथा कर्मचारियों से अभिदान, दान तथा अंशदान ।
7. पुस्तकालय तथा साज-सामान (प्रत्येक की विस्तृत सूची संलग्न की जाय।)
8. कर्मचारी वर्ग :-
 (क) नाम तथा अर्हता सहित सूची – नाम, जन्म तारीख, नियुक्ति की तारीख, धारित पद, अर्हताएँ, वेतनमान, वर्तमान वेतन, कक्षाएँ तथा पढ़ाया जाने वाला विषय,
 (ख) सेवा निवृत्ति के लाभों सहित सेवा शर्तें ।

9. प्रस्तावित शाला में प्रत्येक कक्षा, वर्ग की संख्या तथा कितने बच्चे हैं/हो सकेंगे ।
10. शाला से उसी स्तर के अन्य स्कूलों की दूरी ।
11. समिति का नियम प्रारूप से घोषणा पत्र – प्रारूप-क, ख, ग एवं परिशिष्ट-अ एवं परिपत्र क.-6 ।
12. शाला संचालन हेतु जमा की गई संरक्षित राशि के रसीद की प्रतिलिपि ।
13. छात्रावास :-
 - (क) क्या छात्रावास सुविधा है ।
 - (ख) यदि छात्रावास सुविधा उपलब्ध हो तो भवन, उसके स्वामित्व तथा स्थिति तथा स्वच्छता संबंधी विवरण ।
 - (ग) अन्तर्वासियों की संख्या, भोजन तथा चिकित्सा सुविधा के लिये व्यवस्था ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम
(एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर व मुहर)

अनुसूची
(धारा 19 और धारा 25 देखिए)
विद्यालय के लिए मान और मानक
निर्धारित मापदण्ड

क्रमांक	मद	मान और मानक
1.	शिक्षकों की संख्या :-	
	(क) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा प्रवेश किए गए बालक के लिए	<p>शिक्षकों की संख्या</p> <p>साठ तक – दो इकसठ से नब्बे के मध्य – तीन इक्यानबे और एक सौ बीस के मध्य – चार एक सौ इक्कीस और दो सौ पांच के मध्य – पांच एक सौ पचास बालकों से अधिक – पांच धन एक प्रधान अध्यापक</p> <p>दो सौ बालकों से अधिक—छात्र—शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा ।</p>
	(ख) छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	<p>(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो –</p> <p style="text-align: center;">(i) विज्ञान और गणित : (ii) सामाजिक अध्ययन : (iii) भाषा ।</p> <p>(2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक ।</p> <p>(3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां :-</p> <p style="text-align: center;">(i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक : (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक :</p> <p style="text-align: center;">(अ) कला शिक्षा : (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा :</p> <p style="text-align: center;">(इ) कार्य शिक्षा :</p>

क्रमांक	मद	मान और मानक
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे – (1) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-प्रधान अध्यापक कक्ष : (2) बाधा मुक्त पहुंच (3) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय : (4) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा : (5) जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ एक रसोई कक्ष : (6) खेल का मैदान : (7) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएँ ।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(1) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस : (2) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस : (3) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटा : (4) छठी से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे ।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों न्यूनतम संख्या	पैंतालिस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं ।
5.	अध्यापन शिक्षण उपकरण	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तक भी हैं, उपलब्ध होंगी ।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपकरण	प्रत्येक कक्षा की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रपति ने दि राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

सचिव, भारत सरकार

प्रारूप—(ग)

प्रतिभूति पत्र

- 1 इस प्रतिभूति पत्र से सर्व संबंधित को विदित हो कि
(समिति का नाम) छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (जो लागू हो उसे चिन्हित करें) की धारा के अधीन पंजीकृत समिति है और जिसका कार्यालय
.....में स्थित है जिसे इसमें आगे बाध्यताधारी कहा गया है ।
- 2 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जिन्हे इसमें आगे सरकार कहा गया है (प्रतिभूति रूपये
..... अक्षरीरूपये केवल) की रकम की मांग की जाने पर बिना किसी आपत्ति के सरकार को पूर्णतः और सही रूप से सदस्य करने के लिए हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं :-
आज तारीख को इस पर हस्ताक्षर किये ।
- 3 बाध्यताधारी की प्रार्थना पर सरकार छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के तारीखके पत्र संख्या जिसमें इसमें आगे मंजूरी पत्र कहा गया है और जो इस विलेख का विभिन्न अंग है और जिसकी एक प्रति उप बंधक के रूप में संलग्न है, के अनुसार बाध्यताधारी के पक्ष में रूपये ..
..... अक्षरी रूपयेकी जमानत राशि पर शिक्षण संस्था की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है । जिसमें शिक्षण संस्था संचालन की स्वीकृति समिति संस्था के द्वारा सरकार के पक्ष में दिये गये शपथ पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के लिये सहमत हो गए । शर्तों पर बंधक पत्र निष्पादित करेंगे और बाध्यता अधिकारी ऐसा करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे ।
- 4 उपर्युक्त बाध्यता की शर्तें यह हैं कि यदि बाध्यता अधिकारी शपथ पत्र में उल्लेखित शर्तों की सम्यक रूप से पूर्ति और अनुपालन करते हैं तो उपर लिखित बाध्यता शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगी अन्यथा पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगी । शपथ पत्र का पालन पूर्णतः या अंश रूप से करना नहीं पाया गया तो बंधक कर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने लिये पूर्णतः सक्षम होकर बंधक राशि को राजसात कर सकेगी और इस प्रकार की कार्यवाही से बंधक पत्र निष्पादित कर्ता तथा उसके उत्तराधिकारी जो भी कार्यवाही के समय शिक्षण संस्था संचालन कर रहे होंगे, उत्तरदायी होंगे ।
- 5 यह कि विलेख पत्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में शिक्षण संस्था संचालित करने उसके लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित आदेशों/ अध्यादेशों के पालन करने की वचनबद्धता के लिए निष्पादित किया जा रहा है ।
- 6 यह कि विलेख के निष्पादित करने से निष्पादनकर्ता को यह भली-भाँति ज्ञात है कि इस विलेख पत्र का पालन पूर्णतः या आंशिक रूप से न करने की स्थिति में निष्पादनकर्ता यह भली भाँति समझता है कि वह कानूनी रूप से अपने आपको आपराधिक रूप से जिम्मेदार बतावेगा और जिसके लिये वह स्वयं अपने आप में संस्था प्रमुख अथवा समिति प्रमुख होने के नाते जिम्मेदार होगा ।
- 7 यह विलेख छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशासकीय संस्था संचालन अनुमति हेतु पारित आदेश क्रमांक दिनांक के पालन की बाध्यता के लिए आज दिनांक को समक्ष गवाहन निष्पादित

कर संस्था की पद मुद्रा के साथ हस्ताक्षरित किया और इसका पंजीयन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पक्ष में कराकर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के कार्यालय में जमा कराया गया जो कि प्रमाण के रूप में सनद रहे ।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
निष्पादनकर्ता एवं नाम पद एवं
पूरा पता

गवाह :-

1
(पूरा नाम पद एवं पता)

2
(पूरा नाम पद एवं पता)

स्टाम्प पेपर

प्रारूप—(क)

शपथ—पत्र

मैं
.....निम्नांकित कथन शपथपूर्वक करता हूँ ।

- 8 विद्यालय का नाम की समिति का नाम , समिति अधिनियम (अधिनियम का नाम) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के क्रमांक में पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक दिनांक है , समिति है ।
- 9 समिति के विधान में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एक मुख्य उद्देश्य है । समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति के विधान की प्रति तथा पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची संलग्न है ।
- 10 समिति द्वारा (शाला का नाम) में कक्षा नर्सरी एवं कक्षा से कक्षा तक का संचालन प्रस्ताव पारित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए मुझे अधिकृत किया है । समिति द्वारा अधिकृत करने का प्रस्ताव संलग्न है ।
- 11 समिति समय—समय पर शासन द्वारा जारी संस्था पर लागू आदेश/ज्ञाप /निर्देशों एवं विभागीय नियमों का पूर्णतः पालन करेगी ।
- 12 समिति प्राप्त संपूर्ण शुल्क का पूर्ण विवरण शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूपों में रखा जावेगा ।
- 13 समिति एवं जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त नामित बॉण्ड / बचत पत्र/सावधि जमा अनुक्रमांक दिनांक राशि रूपये अक्षरी रूपये मात्र बैंक/पोस्ट आफिस का नाम में जमा करा दिया गया है ।
- 14 संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं शिक्षकों का वेतन व भत्तों का भुगतान रेखांकित चेक से किया जाता है/किया जावेगा । तथा संपूर्ण लेखा जोखा व्यवस्थित रूप से संधारित किया जा रहा है / किया जावेगा ।

- 15 संस्था में शिक्षक स्टाफ विषयमान से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित रचनाक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात पर्याप्त रखा जावेगा ।
- 16 छात्र संख्या के मान से खेल मैदान पर्याप्त आकार वर्गफुट उपलब्ध है ।
- 17 विद्यालय में अध्ययन हेतु कमरों की संख्या , प्रयोगशाला है, पुस्तकालय हेतु , कार्यालय एवं अन्य सहित कुल कमरे व वर्गफुट का क्षेत्र है जो छात्र संख्या (20 वर्गफुट प्रतिछात्र) के मान से पर्याप्त है ।
- 18 भवन / खेल का मैदान वर्ष की अवधि तक किराये से लिया गया है । किराये से लेने का प्रमाण संलग्न है ।
- 19 विद्यालय में कृषि संकाय हेतु वर्गफुट कृषि भूमि उपलब्ध है । जिसका अंकेक्षण सी.ए. से करवाती है ।
- 20 विद्यालय में शिक्षण हेतु आवश्यक सभी शैक्षणिक उपकरण, संशोधन, पुस्तकें, फर्नीचर आदि छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है (सामग्री की सूची संलग्न है)
- 21 शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिये आने पर शपथपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि कराई जावगी । शपथ पत्र में दर्शाये गए तथ्य सत्य न पाए जाने पर अथवा उसके विपरीत स्थिति होने पर संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन व शाला बन्द करने की कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।
- 22 संस्था जब विद्यालय का संचालन बन्द करेगी उसकी पूर्व सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को तीन माह पूर्व देगी ।
- 23 कक्षासे कक्षा की विभागीय व माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड/शर्तों की पूर्ति कर ली गई है/ एतद्विषयक समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पूर्ति करेगी ।
- 24 विद्यालय में प्राप्त विभिन्न प्रकार के शुल्क ,अन्य प्राप्ति व व्यय का विवरण शिक्षा विभाग के अंकेक्षण हेतु आदेश करने पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

दिनांक

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता
सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र की उपरोक्त लिखि गई सभी जानकारी दी गई वो पूर्णतः सत्य है ।

शपथकर्ता

प्रारूप-ख
घोषणा पत्र

- 1 समिति समय-समय पर जारी विभागीय नियमों, आदेशों एवं ज्ञापनों का पालन करेगी ।
- 2 समिति निर्धारित अहर्ताधारी व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित रचना अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ।
- 3 कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा होगी तथा चयन समिति में एक विभागीय प्रतिनिधि रखा जायेगा ।
- 4 समिति कर्मचारियों का शोषण नहीं करेगी । वेतनमानों के अनुसार वेतन अथवा भत्ते दिये जावेंगे । इसके लिये शासकीय अनुदान की माँग नहीं की जावेगी । वेतन का भुगतान रेखांकित चेक द्वारा किया जावेगा ।
- 5 समिति द्वारा शाला संचालन में लागू विभागीय नियम/आदेश की अवहेलना करने अथवा शपथपत्र में असत्य तथ्य उल्लेखित करने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह शाला बंदकर नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही करे ।
- 6 कक्षोन्नति के लिये विभागीय नियमों का पालन किया जावेगा ।
- 7 विद्यालय में छात्र संख्या के मान से पर्याप्त भवन, टाटपट्टी, फर्नीचर, श्यामपट अन्य पाठन सामग्री, खेल मैदान, खेल सामग्री की व्यवस्था अनिवार्यतः की जावेगी ।
- 8 विद्यालय में प्रवेश मान्यता प्राप्त संस्था की टी.सी. व कक्षा उन्नति के आधार पर किया जावेगा ।
- 9 छात्रों के लिये पेयजल, शौचालय, अपेक्षित स्वास्थ्यकर वातावरण की पूर्ण व्यवस्था की जावेगी ।
- 10 विभाग द्वारा निर्धारित सभी अभिलेखों को शाला में व्यवस्थित रखे जावेंगे ।
- 11 राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रगान व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ अन्य आयोजित गतिविधियों में निर्देशानुसार सहभागिता दी जावेगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
निष्पादनकर्ता एवं नाम पद एवं
पूरा पता

चेक लिस्ट

नवीन शाला /कक्षा खोलने की अनुमति/मान्यता /नवीनिकरण प्राप्त करने के लिये संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सूची

1. विद्यालय का नाम एवं प्रारंभ होने का वर्ष ।
2. प्रस्तावित शाला की संचालन समिति का रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी छ.ग. के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।
3. (अ) शाला समिति के विधान की प्रति एवं कार्यालय का पता ।
(ब) प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची, प्रत्येक सदस्य के पते तथा हस्ताक्षर सहित ।
4. किस कक्षा तक की अनुमति प्राप्त है एवं किस कक्षा की अनुमति चाही है ।
5. प्रस्तावित शाला के भवन का ब्यौरा एवं नक्शा –
(क) भवन तथा खेल के मैदान का मानचित्र (प्रति संलग्न की जाय),
(ख) खेल के मैदान तथा कमरों का आकार प्रकार ,
(ग) भवन प्रयोगशाला सहित तथा खेल के मैदान की स्थिति तथा स्वामित्व ।
6. शाला भवन का किराया, किरायानामा (कम से कम 05 वर्षों का नोटरीज स्टाम्प पेपर में) अथवा भवन का स्वामित्व का प्रमाण-पत्र ।
7. समिति के आय स्रोत की जानकारी तथा आवेदन की तिथि पर जमा राशि की जानकारी।
आय की अनुसूची :-
(क) सभी स्तरों के विद्यार्थियों से प्राप्त फीस
(ख) धर्मार्थ प्राप्त रकमें ।
(ग) विद्यार्थियों, माता, पिता, तथा कर्मचारियों से अभिदान, दान तथा अंशदान ।
8. पुस्तकालय तथा साज-सामान (प्रत्येक की विस्तृत सूची संलग्न की जाय ।)
9. कर्मचारी वर्ग :-
(क) नाम तथा अर्हता सहित सूची – नाम, जन्म तारीख, नियुक्ति की तारीख, धारित पद, अर्हताएँ, वेतनमान, वर्तमान वेतन, कक्षाएँ तथा पढ़ाया जाने वाला विषय,
(ख) सेवा निवृत्ति के लाभों सहित सेवा शर्तें ।
10. प्रस्तावित शाला में प्रत्येक कक्षा, वर्ग की संख्या तथा कितने बच्चे हैं/हो सकेंगे ।
11. शाला से उसी स्तर के अन्य स्कूलों की दूरी ।
12. समिति का नियम प्रारूप से घोषणा पत्र – प्रारूप-क, ख, ग एवं परिशिष्ट-अ एवं परिपत्र क्र.-6 ।
13. शाला संचालन हेतु जमा की गई संरक्षित राशि के रसीद की प्रतिलिपि ।
14. छात्रावास :-
(क) क्या छात्रावास सुविधा है ।
(ख) यदि छात्रावास सुविधा उपलब्ध हो तो भवन, उसके स्वामित्व तथा स्थिति तथा स्वच्छता संबंधी विवरण ।
(ग) अन्तर्वासियों की संख्या, भोजन तथा चिकित्सा परिचर्या के लिये व्यवस्था ।
15. विद्यालय में सुरक्षा के दृष्टि से सी.सी.टी. कैमरा, फायर सेफ्टी लगाना अनिवार्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम
(एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर व मुहर)